

# राजस्थान आवासन मण्डल, उदयपुर

राजसमंद जिले की गोविंद नगर योजना में पंजीकृत/ अपंजीकृत आवेदको के लिए नगद भुगतान पद्धति पर खुली बिक्री योजना में शेष फ्लेटो के आवंटन का का स्वर्णिम अवसर

आवेदन पत्र बिक्री/ प्राप्त करने की प्रारम्भ तिथि (कार्य दिवस/ समय में)  
10-02-2017

“पहले आओ पहले पाओ”  
के आधार पर

आवेदन पत्र बिक्री/ प्राप्त करने की अंतिम तिथि (कार्य दिवस/ समय में)  
31-03-2017

राजस्थान आवासन मण्डल के सम्पत्ति अधिनियम 1970 के नियमानुसार राजसमंद शहर में आवासन मण्डल की गोविन्द नगर आवासीय योजना में फ्लेटो की खुली बिक्री निम्नानुसार किया जाना निश्चित हुआ है :-

क्र. सं.	श्रेणी	उपलब्ध फ्लेटो संख्या	फ्लेट का निर्मित क्षेत्र (व.मी)	फ्लेट की लागत	आवेदन पत्र के साथ देय पंजीकरण राशि एवं पूर्वग्रहण राशि + प्रशासनिक शुल्क	नगद भुगतान में तीन माह में जमा करने की राशि
1	MIG-A (Flat)	A-08, B-07 & E-03 (First Floor)	74.610	1770800/-	90000/- +1500/-	1726470/-
2	MIG-A (Flat)	B-11 & C-05 (Second Floor)	74.610	1739700/-	90000/- +1500/-	1694012/-
3	MIG-A (Flat)	B-15 & C-08 (Third Floor)	74.610	1677600/-	90000/- +1500/-	1629200/-

## शर्तें :-

- लागत के अतिरिक्त लीज राशि, विविध खर्च, कॉर्नर चार्ज एवं अतिरिक्त भूमि की राशि बोर्ड नियमानुसार देय है।
- फ्लेटो का आवंटन प्रस्तुत आवेदन फार्म में अंकित विकल्प के क्रम में किया जावेगा।
- फ्लेटो का आवंटन "जहाँ है जैसा है" की स्थिति पर किये जायेंगे तथा इस विषय में कोई आक्षेप स्वीकार नहीं किया जावेगा।
- इस योजना में पूर्व पंजीकृत एवं अपंजीकृत आवेदको के आवंटन स्वीकार किये जायेंगे।
- योजना के पूर्व आवेदको को आवंटन में प्रथम शरीयता दी जावेगी।
- फ्लेटो के आवंटन हेतु आवेदन फार्म मूल आवेदक स्वयं के उपस्थित होने पर ही स्वीकार किये जायेंगे।
- योजना में प्रस्तावित किसी भी फ्लेट को लेकर विवाद उत्पन्न होता है उक्त फ्लेट के संबंध में निर्णय करने के लिए मण्डल स्वतंत्र होगा।
- योजना के नियम, शर्तें एवं अन्य विवरण का उल्लेख आवेदन फार्म में वर्णित है।
- आवेदको को पहचान स्वरूप पहचान पत्र, पारापोर्ट, आधार कार्ड, फोटो युक्त राशन कार्ड, ड्राईविंग लाईसेंस इत्यादि में से एक की छाया प्रति एवं पते का प्रमाण स्वरूप बिजली, पानी, टेलीफोन बिल में से एक की सत्यापित छाया प्रति आवेदन पत्र के साथ सलंगन करनी होगी।
- एक से अधिक एक ही फ्लेट के आवेदन प्राप्त होने पर उसी दिन सायं 4.30 बजे लॉटरी से फ्लेट आवंटन किया जावेगा।
- पूर्व पंजीकृत आवेदको का पंजीकरण निरस्त नहीं होना चाहिए एवं पुनर्जीवित से संबंधित साक्ष्य एवं पूर्व पंजीकरण के अन्तर्गत जमा राशि के रिफण्ड नहीं होने तथा पंजीकरण के अन्तर्गत कोई अन्य आवास आवंटित नहीं होने का 50/- रूपयों के न्यायिक स्टाम्प पेपर पर नोटेरी से सत्यापित शपथ-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- खुली बिक्री योजना के आवेदन पत्र 100/- का नगद भुगतान जमा कर दिनांक 10.02.17 से कार्यालय समय में प्राप्त किये जा सकते हैं।

## सम्पर्क सूत्र

परियोजना अभियन्ता (व.)  
उप खण्ड राजसमंद  
मो. 9983993873

आवासीय अभियन्ता  
खण्ड द्वितीय, उदयपुर  
पारस तिराहा, सेक्टर 11, उदयपुर  
मो. 9983993914

उप आवासन आयुक्त  
राजस्थान आवासन मण्डल  
वृत्त उदयपुर  
फोन नं. 0294-2583327

# राजस्थान आवासन मण्डल, उदयपुर

क्रमांक :- 1890

दिनांक :- 07.02.17

## विज्ञप्ति

सुखाडिया नगर आवासीय योजना, नाथद्वारा में खुली बिक्री योजना के अन्तर्गत आवेदन पत्र बिक्री एवं प्राप्त करने की तिथि दिनांक 30.04.2017 तक बढ़ाई जाती है। अन्य शर्तें एवं नियम पूर्वानुसार ही रहेंगे।

उप आवासन आयुक्त  
राजस्थान आवासन मण्डल,  
वृत्त उदयपुर